

कार्यालय उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर, मेदिनीनगर।

आ दे श

अंचल अधिकारी, चैनपुर के पत्रांक 55 दिनांक 10.01.2025 के द्वारा राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी चैनपुर द्वारा विहित प्रपत्र में अनुमति वाद संख्या 204/2024-25 का जॉच प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार विक्रेता श्री रामप्यारी मोची पिता स्व० भोला मोची, मौजा मतौली, पो० करसो, थाना चैनपुर, जिला पलामू जाति चमार (अ०जा०) एवं केता श्री सोभनाथ मोची पिता असुरफी राम, मौजा मतौली, पो०-करसो, थाना चैनपुर, जिला पलामू जाति चमार (अ०जा०) को डिक्री करने का प्रतिवेदन अनुशंसा के साथ प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता एवं केता चमार (अ०जा०) के हैं और केता एवं विक्रेता एक ही जिला के निवासी हैं अन्तरण अनुमति वाद संख्या 204/2024-25 में दी गयी स्वीकृति के अनुसार छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा-46 के अन्तर्गत भूमि अन्तरण करने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का विवरण

क्र०	अंचल का नाम	ग्राम/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
1	चैनपुर	मतौली/73	52	489	20 $\frac{1}{2}$ डी०


उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।

ज्ञापांक.....36...../ दिनांक.....24/01/2025...../

प्रतिलिपि:- जिला अवर निबंधक, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री रामप्यारी मोची पिता स्व० भोला मोची, मौजा मतौली, पो० करसो, थाना चैनपुर, जिला पलामू को सूचनार्थ प्रेषित।


उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।